29/12/24	पत्रा. पेश हुई। वकु० उभय वादीगण व वादिया स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर जरिये इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नतीजा से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलेक्टर नदबई जिला भरतपुर

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस
मु0 उन0 सीताराम बनाम मुगःडामल वगै0
दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 57/2023

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वांदी मिनजानिब मुददठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादीगण को 2/3 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/9 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को 1/18 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8, 9 को 1/9 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 को 1/18 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयादी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29/12/23 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—[signature]
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

1. सीताराम पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर गादौली तहसील न[illegible] जिला भरतपुर।
2. फत्तेसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर गादौली तहसील न[illegible] जिला भरतपुर।
3. कलुआ सिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर गादौली तहसील न[illegible] जिला भरतपुर।

वादीग[illegible]

बनाम

1. भुगडामल पुत्र होतूमल जाति सिन्धी निवासी पहरसर तहसील नदबई जि[illegible] भरतपुर।
2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

3. शिवराम सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. श्यामसिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. ओमवीर पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. योगेन्द्र पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. ओमप्रकाश पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. मानसिंह पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. गोविन्द सिंह पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. धर्मपाल पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. राकेश पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. नितिन पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. मुकेश पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 57 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 124
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :—29.12.2025

1. सीताराम पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. फत्तेसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. कलुआ सिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर। वादीगण

बनाम

1. भुगडामल पुत्र होतूमल जाति सिन्धी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई। —असल प्रतिवादीगण
3. शिवराम सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. श्यामसिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. ओमवीर पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. योगेन्द्र पुत्र प्रभुदयाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. ओमप्रकाश पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. मानसिंह पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. गोविन्द सिंह पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. धर्मपाल पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. राकेश पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. नितिन पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. मुकेश पुत्र चतरपाल जाति जाट निवासी हसनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। —तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री फूलसिंह एड (वादीगण की ओर से)
श्री राकेश कुमार (प्रतिवादीगण की ओर से)

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

निर्णय   दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सारगर्भित व संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एवं प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई सख्श नहीं है जो दावा लड़ने योग्य न हो। सजरा वादपत्र पर अंकित है।
2. यह कि विवादित आराजी के हाल व गत खसरा नंबरान का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

हाल संवत 2060	गत संवत 2028	गत संवत 2028 से पूर्व
27 रकबा 0.20	23 रकबा 16 बिस्वा	21 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा

3. यह कि उक्त आराजी वर्णित मद संख्या 2 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर स्थित है जिसके साबिक खसरा नंबर 21 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का निस्फ हिस्सा अन्य साबिक खसरा नंबरान के जरिए रजि0 बयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 24.06.1968 को वादीगण के पिता भूरीसिंह पुत्र बोदन सिंह हिस्सा 2/3 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पिता व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के बाबा गिर्राज पुत्र बोदन एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के पिता तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 के बाबा थानसिंह पुत्र खुनखुनं हिस्सा 1/3 वाहिस्सा बराबर बतौर गैर खातेदार व मुव0 1500 रूपया में खरीद किया था तभी वक्त खरीद से उक्त आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा उपरोक्त पर काबिज हो बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन अब संवत 2028 के आसपास प्रतिवादी संख्या 1, 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर उसके स्थान पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 को ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं लिहाजा अब उपरोक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 27 रकबा 0.20 वाके ग्राम पहरसर पर वादीगण हिस्सा 2/3 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/9 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादीसंख्या 5 लगायत 7 हिस्सा 1/18 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 हिस्सा 1/9 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे हाल इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड काबिल कमलजन के हैं।
4. यह कि विवादित आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा काबिजकाश्त करते चले आ रहे हैं अब प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है लेकिन दिनांक 08.06.23 को प्रतिवादी सख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 की सह पर आराजी से बदेखल करने एवं अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी गई उक्त दी गई धमकी में अगर कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूति जरिए नकद से न हो सकेगी अतः वादी खिलाफ प्रतिवादी असल को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को विक्रय नहीं करे और आराजी से वादीगण को बेदखल न करें।
5. अंत में वादीगण द्वारा प्रार्थना की कि विवादित आराजी के हाल खसरा नबर 27 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके पहरसर पर वादीगण हिस्सा 2/3 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/9 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 हिस्सा 1/18 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 हिस्सा 1/9 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 हिस्सा 1/18 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे हाल इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड काबिल कलमजन के है।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 13 की ओर से श्री राकेश एड्वोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील जरिए अखबार साया कराई गई परन्तु उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा पेश नहीं किया गया अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075—78 वाके पहरसर प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके पहरसर प्रदर्श 2, नकल भूप्रबंध विभाग वाके पहरसर संवत 2028 प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2026—29 वाके पहरसर प्रदर्श 4, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम पहरसर प्रदर्श 5, एवं प्रतिलिपि वयनामा पेश किए गए एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में फत्तेसिंह पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी पहरसर के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नहीं की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही बहस अंतिम प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा की गई।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की एकतरफा बहस सुनी। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन रहे कि साबिक खसरा नंबर 21 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का निस्फ हिस्सा अन्य साबिक खसरा नंबरान के जरिए रजि0 वयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 24.06.1968 को वादीगण के पिता भूरीसिंह पुत्र बोदन सिंह हिस्सा 2/3 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पिता व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के बाबा गिर्राज पुत्र बोदन एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के पिता तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 के बाबा थानसिंह पुत्र खुनखुन हिस्सा 1/3 वाहिस्सा बराबर बतौर गैर खातेदार व मुव0 1500 रूपया में खरीद किया था तभी वक्त खरीद से उक्त आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा उपरोक्त पर काबिज हो बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन अब संवत 2028 के आसपास प्रतिवादी संख्या 1, 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर उसके स्थान पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 को ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं। अतः वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि हाल विवादित आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 भुगडामल पुत्र होतूमल जाति सिंधी निवासी पहरसर के नाम दर्ज है जो कि नकल जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2028 प्रदर्श 3 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 23 रकबा 16 बिस्वा एवं संवत 2028 से पूर्व के खसरा नंबर 21 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम पहरसर से निर्मित हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार हाल एवं गत खसरा नंबरान का मिलान हो रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वयनामा दिनांक 24.06.1968 अनुसार साबिक खसरा नंबर 21 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का निस्फ हिस्सा अन्य साबिक खसरा नंबरान को जरिए रजि0 वयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 24.06.1968 को वादीगण के पिता भूरीसिंह पुत्र बोदन सिंह हिस्सा 2/3 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पिता व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के बाबा गिर्राज पुत्र बोदन एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के पिता तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 के बाबा थानसिंह पुत्र खुनखुन हिस्सा 1/3 वाहिस्सा बराबर जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 24.06.1968 को 1500 रूपए में बतौर गैरखातेदार खरीद किया था एवं वक्त खरीद से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण को वर्तमान में ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र भी वादपत्र की वादीगण के पक्ष में पुष्टि करते हैं। अतः वादीगण उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन करा पाने एवं स्वयं तथा तरतीवी प्रतिवादीगण को हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है

::आदेश::

विवादित आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादीगण को 2/3 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/9 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को 1/18 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8, 9 को 1/9 वाहिस्सा बराबर एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 को 1/18 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे हाल इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/23 को लिख जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सचिन यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई जिला भरतपुर